राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 517 / 2016..... जिला : ~~जयपुर~~ अलवर

मैसर्स अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा.लि.भिवाडी बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बिजनेस ऑडिट – द्वितीय, अलवर व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
03.03.2016	अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बिजनेस ऑडिट – द्वितीय, अलवर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2016, जो अधिनियम की धारा 27(5) व 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये पारित किया गया है, में विवादित मांग राशि रू. 99,39,251/– में से 91,69,978/–के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने स्थगन आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी ने रू. 99,39,251/– स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है। उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 91,69,978/– पर स्थगन प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2016 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना रू. 91,69,978/– के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया (मनोहरपुरी) 03/03/2016 सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	